

प्रेषक,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

सेवा में,

प्रबन्धक/व्यवस्थापक/अध्यक्ष,
सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल,
अपर राजीवनगर, नेहरूग्राम, देहरादून।

पत्रांक : शिविर(बे0)/15-क/ 2371-81 /नवीनीकरण/2018-19/ दिनांक 04 मई, 2019

विषय: विद्यालय मान्यता/नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके विद्यालय को इस कार्यालय के पत्रांक संख्या शिविर (मा0)/15-क/11375-11520/मान्यता/2013-14 दिनांक 13 सितम्बर 2013 के द्वारा दिनांक 01.08.2013 से दिनांक 31.07.2018 तक मान्यता प्रदान की गयी थी। आपके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र के आधार पर दिनांक 01.08.2018 से दिनांक 31.08.2023 तक मान्यता प्रदान की जाती है। मान्यता की शेष शर्तें पूर्व आदेश की भांति रहेंगी तथा मान्यता समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त आपको पुनः बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (यथासंशोधित) के अनुसार मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा। पुनः आवेदन न करने पर विद्यालय की मान्यता निर्धारित समयावधि के बाद स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

भयलोय,

(आशारानी पैन्चूली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

पृ0सं0 शिविर(बे0)/15-क/ /नवीनीकरण/2018-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।

(आशारानी पैन्चूली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

प्रेषक,

मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

सेवा में,

प्रबन्धक/व्यवस्थापक/अध्यक्ष,
सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल,
अपर साजीवनगर, नेहरूग्राम, देहरादून।

पत्रांक : शिविर(बे0)/15-क/ 2376-81 /नवीनीकरण/2018-19/ दिनांक 04 मई, 2019

विषय: विद्यालय मान्यता/नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके विद्यालय को इस कार्यालय के पत्रांक संख्या शिविर (मा0)/15-क/11375-11520/मान्यता/2013-14 दिनांक 13 सितम्बर 2013 के द्वारा दिनांक 01.08.2013 से दिनांक 31.07.2018 तक मान्यता प्रदान की गयी थी। आपके द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र के आधार पर दिनांक 01.08.2018 से दिनांक 31.08.2023 तक मान्यता प्रदान की जाती है। मान्यता की शेष शर्तें पूर्व आदेश की भांति रहेंगी तथा मान्यता समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त आपको पुनः बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (यथासंशोधित) के अनुसार मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा। पुनः आवेदन न करने पर विद्यालय की मान्यता निर्धारित समयावधि के बाद स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

भरद्वीय,
(आशारानी पैन्चूली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।

पृ0सं0 शिविर(बे0)/15-क/ /नवीनीकरण/2018-19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0), देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित सदस्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत् निरीक्षण करते रहें।

(आशारानी पैन्चूली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
देहरादून।